



मध्यप्रदेश शासन  
ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय


आदेश

भोपाल, दिनांक 9 JUL 2020

क्रमांक S126 /एफ-2-22/2009/तेरह : विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री एस.पी.एस. परिहार, आय.ए.एस. (से.नि.) को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

उपरोक्त नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 82, 84, 85, 86, 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी। आयोग के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तों) नियम, 2000 (यथा संशोधित) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(संजय दुबे)  
प्रमुख सचिव  
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग


पृ क्रमांक S127 /एफ-2-22/2009/तेरह

भोपाल, दिनांक 9 JUL 2020

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, तीसरी एवं चौथी मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110001
2. मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, सेवा भवन. आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली - 110066.
4. सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्य मंत्री कार्यालय, भोपाल।

6. श्री एस.पी.एस. परिहार, बी-3, टावर 8, न्यू मोती बाग, नई दिल्ली की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने का कष्ट करें।
7. प्रमुख सचिव (कार्मिक), म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. प्रबंध संचालक, एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर।
9. प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि., भोपाल/जबलपुर/इंदौर।
10. प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमि., जबलपुर।
11. सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, बाणगंगा, भोपाल।

  
प्रमुख सचिव  
म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग